AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना डौकी जनपद आगरा।   दिनांक 31.07.2022

थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा गैरइरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 21.07.2022 को वादिया द्वारा थाना डौकी पर अपने बेटे के गुम होने की सूचना दी गयी कि दिनांक 16.07.2022 को मेरे बेटे नाहर सिंह को गाँव का रामू प्रजापति काम के बहाने ट्रैक्टर पर साथ ले गया था। अगले दिन रामू घर आ गया किन्तु मेरा बेटा नहीं आया तो मैंने बेटे के बारे में पूछा उसके द्वारा बताया गया कि उसने बेटे का टूटा मोबाइल देते हुए कहा कि वो आ जायेगा, किन्तु अभी तक वापस नहीं आया। इस दौरान बसई मुहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद में एक अज्ञात शव की जानकारी प्राप्त हुयी। परिजनों को फोटो और कपड़ों को दिखाने पर अपने लड़के के रूप में पहचान की। दिनांक 22.07.2022 को इस सम्बन्ध में थाना डौकी पर मु0अ0सं0 166/22 धारा 364/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डौकी को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही के क्रम में विवेचना, पूछताछ आदि सूचना के विभिन्न माध्यमों द्वारा अभियुक्त रामू का नाम प्रकाश में आया और गैर इरादतन हत्या करने के सम्बन्ध में साक्ष्यों के आधार पर अभियोग उपरोक्त को धारा 304 भादवि में तरमीम किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 31.07.2022 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इस समय रमाडा कट के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है। उपरोक्त प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं काम के लिए नाहर को ट्रैक्टर पर अपने साथ ले गया था। हम दोनों नशे में थे और जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र में नाहर ट्रैक्टर से गिर गया तो उसके चोट आ गयी। बाद में जानकारी हुयी थी कि उसका लीवर फट गया था। मैं उसको हॉस्पीटल नहीं ले गया और वहां से भाग गया और वहीं इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गयी।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. रामू प्रजापति पुत्र विजय सिंह प्रजापति नि0 बमरौली कटारा थाना डौकी जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

मु0अ0सं0 166/22 धारा 304 भादवि थाना डौकी जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. थानाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह थाना डौकी जनपद आगरा।
02. का0 अरूण कुमार थाना डौकी जनपद आगरा।
03. का0 राहुल तेवतिया थाना डौकी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।